रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19072023-247456
CG-DL-E-19072023-247456

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 415] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 18, 2023/आषाढ़ 27, 1945
No. 415] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 18, 2023/ASHADHA 27, 1945

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2023

सा.का.नि. 521(अ).—केंद्रीय सरकार, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उप–धारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल में पैरा–मैडिकल संवर्ग (समूह 'ख') के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल, पैरा–मैडिकल संवर्ग (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.**–भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.**—ऐसा व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है।

उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **चिकित्सीय दृष्टया योग्यता.**—इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति जो केंद्रीय सशस्त्र बलों में स्वास्थ्य देख रेख पद्धति में यथाविनिर्दिष्ट चिकित्सा श्रेणी शेप–I में है, वे इन नियमों के उपबंधों के अधीन प्रोन्नति और नियुक्ति, जिसके अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या पुनर्नियोजन भी हैं, पात्र होंगे।

स्पष्टीकरणः इस नियम के प्रयोजनों के लिए चिकित्सा प्रवर्ग शेप–I से यथा नीचे परिभाषित चिकित्सा प्रवर्ग अभिप्रेत हैः–

(i) कोड अक्षर शेप (एस.एच.ए.पी.ई.) जो निम्नलिखित कृत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, द्वारा उपदर्शित दिए गए घटकों के अधीन अधिकारी की योग्यता निर्धारित करने के पश्चात, चिकित्सा अधिकारी का दिया गया चिकित्सा वर्गीकरणः–

एस – मनोवैज्ञानिक

एच – श्रवण शक्ति

ए – उपांग (अपैन्डेजेस)

पी – शारीरिक क्षमता

ई – दृष्टि शक्ति

(ii) प्रत्येक घटक के अधीन किसी अधिकारी की कार्यात्मक क्षमता प्रत्येक कोड अक्षर के सामने अंक 1 से 5 द्वारा कम होती हुई कार्यात्मक क्षमता उपदर्शित करते हुए दर्शाई जाएगी।

(ख) कोड अक्षर के पश्चात अंक लिखे जाएंगे, सिवाए उसके जहां कोई अधिकारी सभी घटकों में श्रेणी–1 में है, वहां उसका प्रवर्ग एस 1 एच 1 ए 1 पी 1 ई 1 लिखने के बजाए शेप–1 लिखकर दर्शाया जा सकेगा।

(ग) इन अंको का साधारण मूल्यांकन निम्नानुसार हैः–

(क) कहीं भी सभी कर्तव्यों के लिए योग्य।

(ख) सभी कर्तव्यों के लिए योग्य किंतु क्या कर्तव्यों में तीव्र कठिनाई या दोनों कानों या आंखों की श्रवण शक्ति/दृष्टि की तीक्ष्णता की मांग अंतर्गस्त है या नहीं, पर निर्भर करते हुए कर्तव्यों का प्रकार और नियोजन योग्यता क्षेत्रों के अनुसार परिसीमाएं हो सकती हैं।

(ग) 'एस' घटक को छोड़कर नेमी या अतिरिक्त कर्तव्यों के लिए योग्य किंतु उच्च स्थान (2700 मीटर से अधिक) अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों या पहाड़ी क्षेत्रों पर और लंबे कर्तव्यों के लिए नियोजन योग्यता की परिसीमाएं हो सकती हैं।

(घ) अस्पताल में भर्ती या बीमारी की छुट्टी के कारण कर्तव्यों के लिए अस्थायी रुप से अयोग्य।

(ड़) कर्तव्यों के लिए स्थायी रुप से अयोग्य।

7. भारत के गैर नागरिकों की अपात्रता.—कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, लिखित में केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के सिवाय, इन नियमों के अधीन नियुक्त नहीं किया जाएगाः

परंतु इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नेपाल या भूटान के नागरिकों की नियुक्ति या नियोजन को वर्जित नहीं करेगी।

8. अधिवर्षिता.—(1) प्रत्येक व्यक्ति जो इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया है, उस माह में जिसमें वह साठ वर्ष या केंद्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित आयु प्राप्त करते हैं, अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होंगे;

परन्तु कोई अधिकारी जिसके जन्म की तारीख किसी माह की पहली तारीख है, साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होंगे।

(2) किसी भी व्यक्ति को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के लिए विहित आयु के पश्चात् सेवा विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा।

9. शिथिल करने की शक्ति.—जहाँ केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

10. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

11. निर्वचन.—यदि इन नियमों की निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न उठता है तो यह मामला केंद्रीय सरकार को भेजा जाएगा जो इस मामले में वही निर्णय लेगी।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	पदों का वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. उप निरीक्षक (ई.ई.जी. तकनीशियन्)	01* (2023) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योद्धक)	स्तर 6 (रु. 35400–112400)	लागू नहीं होता।
सीधी भर्ती के लिए आयु–सीमा।				
(6)				
18 से 30 वर्ष के बीच (1) केंद्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 05 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। (2) केंद्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 3 वर्ष तक छूट दी जा सकती है।				

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(7)
1. शैक्षिक अर्हताएं: (i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से न्यूरोटेक्नोलॉजी से स्नातक की डिग्री या

(ii) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय में 10+2 और केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रोइनसेफैलोग्राम या न्यूरोलॉजी तकनीशियन में दो वर्षीय डिप्लोमा। ख) अनुभवः स्नातक की डिग्रीधारी होने पर 1 वर्ष एवं सरकारी अस्पताल से इलेक्ट्रोइनसेफैलोग्राम या न्यूरोलॉजी तकनीशियन में दो वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त होने पर 2 वर्ष का अनुभव।			
2. महिलाओं व पुरुषों के लिए शारीरिक मापदंड			
	पुरुषों के लिए		महिलाओं के लिए
(अ) ऊँचाई	170 सें.मी.		157 सें.मी.
छूट :-			
(i) गढ़वाली, कुमाऊंनी, गोरखा, डोगरा, मराठों की श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी और असम, हिमाचल प्रदेश, संघ राज्य क्षेत्र कश्मीर व लेह लद्दाख क्षेत्र के रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए	165 सें.मी.		155 सें.मी.
(ii) पूर्वोत्तर राज्यों अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए	162.5 सें.मी.		152.5 सें.मी.
(iii) अनुसूचित जनजाति के सभी अभ्यर्थियों जो उक्तानुसार पूर्वोत्तर राज्यों से तथा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों से आते हैं, के लिए	160 सें.मी.		147.5 सें.मी.
(iv) अनुसूचित जनजाति के सभी अभ्यर्थियों जो उक्तानुसार पूर्वोत्तर राज्यों से तथा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों से भिन्न राज्यों से आते हैं, के लिए	162.5 सें.मी.		150 सें.मी.
(ब) छाती	पुरुषों के लिए		महिलाओं के लिए
	बिना फुलाए	फुलाकर	
सामान्य	80 सें.मी.	85 सें.मी.	लागू नहीं होता।
(i) पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा अन्य पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थी	78 सें.मी.	83 सें.मी.	
(ii) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जनजातीय अभ्यर्थी	76 सें.मी.	81 सें.मी.	
(iii) पूर्वोत्तर राज्यों अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के अभ्यर्थियों के लिए	77 सें.मी.	82 सें.मी.	
(स) भारः–चिकित्सीय मानकों के अनुसार आयु तथा कद के अनुपात में। टिप्पणः–महानिदेशक, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल, उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं आपवादिक रूप से योग्य मामलों में विशेष अभियुक्ति के रूप में शारीरिक मानकों में छूट कर सकेगा।			
3. चिकित्सा मानदंडः (क) दृष्टिः–न्यूनतम दूरस्त दृष्टि दोनों ऑखों में 6/6 और 6/9 होनी चाहिए अर्थात (चश्मे के बिना)। (ख) अभ्यर्थियों को घुटने मिलने, सपाट पंजे, वेरिकोस वैन या तिरछेपन से पीड़ित नहीं होना चाहिए तथा उच्च वर्ण दृष्टि होनी चाहिए। उनका अच्छा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उन्हें किसी भी शारीरिक कमी, जिससे कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निष्पादन में समस्या हो, से मुक्त होना चाहिए। 4. शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की हो।			
सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं।			
(8)			
लागू नहीं होता।			
परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा		

	भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता।
(9)	(10)
दो वर्ष।	(i) प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके ना हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा: और (ii) पूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति या पुर्ननियोजन द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दषा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।

(11)

(अ) प्रतिनियुक्ति द्वारा: केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के विभागों के ऐसे अधिकारी,–
(i) (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर पद धारण किए हुए हों; और
(ख) काडर या विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् वेतन मैट्रिक्स में स्तर–5 (रु. 29200–92300) में छह वर्ष की सेवा की हो।
(ii) स्तंभ (7) के तहत सीधी भर्ती के लिए विहित अपेक्षित अनुभव और अर्हता रखते हों।

टिप्पण 1: -प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु–सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: -प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए:
(प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन):

सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास विहित अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। यदि चयनित हो जाते हैं तो, ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा, जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन आधार पर बने रहने दिया जा सकता है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

(12)

समूह **'ख'** विभागीय पुष्टिकरण समिति, (पुष्टिकरण पर विचार के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :–
(1) निदेशक (चिकित्सा) या महानिरीक्षक, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – अध्यक्ष;
(2) उप महानिरीक्षक (चिकित्सा) या उप महानिरीक्षक, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य;
(3) मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी) या कमांडेंट, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य;

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

(13)

लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. उप निरीक्षक (ऑपथैलेमिक तकनीशियन)	01* (2023) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योद्धक)	स्तर 6 (रु. 35400–112400)	लागू नहीं होता।

(6)

18 से 30 वर्ष के बीच
(1) केंद्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 05 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।
(2) केंद्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित

जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 3 वर्ष तक छूट दी जा सकती है।
(7)

1. शैक्षणिक अर्हताएं:

(i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से ऑपटोमेट्री में स्नातक की डिग्री या

(ii) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय में 10+2 और केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से ऑपथैलेमिक तकनीशियन में दो वर्षीय डिप्लोमा।

अनुभवः स्नातक की डिग्रीधारी होने पर 1 वर्ष एवं सरकारी अस्पताल से ऑपटोमेट्री में दो वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त होने पर 1 वर्ष का अनुभव।

2. महिलाओं व पुरुषों के लिए शारीरिक मापदंड

	पुरुषों के लिए		महिलाओं के लिए
(अ) ऊँचाई	170 सें.मी.		157 सें.मी.
छूट :-			
(i) गढ़वाली, कुमाऊंनी, गोरखा, डोगरा, मराठों की श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी और असम, हिमाचल प्रदेश, संघ राज्य क्षेत्र कश्मीर व लेह लद्दाख क्षेत्र के रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए	165 सें.मी.		155 सें.मी.
(ii) पूर्वोत्तर राज्यों अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए	162.5 सें.मी.		152.5 सें.मी.
(iii) अनुसूचित जनजाति के सभी अभ्यर्थियों जो उक्तानुसार पूर्वोत्तर राज्यों से तथा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों से आते हैं, के लिए	160 सें.मी.		147.5 सें.मी.
(iv) अनुसूचित जनजाति के सभी अभ्यर्थियों जो उक्तानुसार पूर्वोत्तर राज्यों से तथा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों से भिन्न राज्यों से आते हैं, के लिए	162.5 सें.मी.		150 सें.मी.
(ब) छाती	पुरुषों के लिए		महिलाओं के लिए
	बिना फुलाए	फुलाकर	
साामान्य	80 सें.मी.	85 सें.मी.	लागू नहीं होता।
(i) पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा अन्य पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थी	78 सें.मी.	83 सें.मी.	
(ii) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जनजातीय अभ्यर्थी	76 सें.मी.	81 सें.मी.	
(iii) पूर्वोत्तर राज्यों अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के अभ्यर्थियों के लिए	77 सें.मी.	82 सें.मी.	

(स) भारः–चिकित्सीय मानकों के अनुसार आयु तथा कद के अनुपात में।

टिप्पणः–महानिदेशक, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल, उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं आपवादिक रूप से योग्य मामलों में विशेष अभियुक्ति के रूप में शारीरिक मानकों में छूट कर सकेगा।

3. चिकित्सा मानदंडः

(क) दृष्टिः–न्यूनतम दूरस्त दृष्टि दोनों ऑखों में 6/6 और 6/9 होनी चाहिए अर्थात (चश्मे के बिना)।

(ख) अभ्यर्थियों को घुटने मिलने, सपाट पंजे, वेरिकोस वैन या तिरछेपन से पीड़ित नहीं होना चाहिए तथा उच्च वर्ण दृष्टि होनी चाहिए। उनका अच्छा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उन्हें किसी भी शारीरिक कमी, जिससे कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निष्पादन में समस्या हो, से मुक्त होना चाहिए।

4. शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(8)	
लागू नहीं होता।	
(9)	(10)
दो वर्ष।	(i) प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके ना हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा: और (ii) पूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति या पुर्ननियोजन द्वारा।
प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	
(11)	
(अ) प्रतिनियुक्ति द्वारा: केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के विभागों के ऐसे अधिकारी,– (i) (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर पद धारण किए हुए हों; और (ख) काडर या विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् वेतन मैट्रिक्स में स्तर–5 (रु. 29200–92300) में छह वर्ष की सेवा की हो। (ii) स्तंभ (7) के तहत सीधी भर्ती के लिए विहित अपेक्षित अनुभव और अर्हता रखते हों। टिप्पण 1: -प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु–सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: -प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **भूतपूर्व सैनिकों के लिए:** (प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन): सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास विहित अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। यदि चयनित हो जाते हैं तो, ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा, जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन आधार पर बने रहने दिया जा सकता है।	
(12)	
समूह **'ख'** विभागीय पुष्टिकरण समिति, (पुष्टिकरण के संबंध में विचार के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :– (1) निदेशक (चिकित्सा)/महानिरीक्षक, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – अध्यक्ष; (2) उप महानिरीक्षक (चिकित्सा) या उप महानिरीक्षक, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य; (3) मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी) या कमांडेंट, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य;	
(13)	
लागू नहीं होता।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. उप निरीक्षक (डायलसिस तकनीशियन)	01* (2023) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योद्धक)	स्तर 6 (रु. 35400–112400)	लागू नहीं होता।
(6)				

18 से 30 वर्ष के बीच
(1) केंद्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 05 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।
(2) केंद्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 3 वर्ष तक छूट दी जा सकती है।

(7)

1. शैक्षणिक अर्हताएं:
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से हैमोडायलिसिस में स्नातक की डिग्री या
(ii) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से विज्ञान के साथ 12वीं और हेमोडायलसिस में 2 वर्ष का डिप्लोमा।
अनुभवः स्नातक की डिग्री धारकों के मामले में न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव और डिप्लोमा धारकों के मामले में मान्यता प्राप्त सरकारी अस्पताल में हेमो डायलसिस कार्यक्षेत्र में न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव।

2. महिलाओं व पुरुषों के लिए शारीरिक मापदंड

	पुरुषों के लिए		महिलाओं के लिए
(अ) ऊँचाई	170 सें.मी.		157 सें.मी.
छूट :-			
(i) गढ़वाली, कुमाऊंनी, गोरखा, डोगरा, मराठों की श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी और असम, हिमाचल प्रदेश, संघ राज्य क्षेत्र कश्मीर व लेह लद्दाख क्षेत्र के रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए	165 सें.मी.		155 सें.मी.
(ii) पूर्वोत्तर राज्यों अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए	162.5 सें.मी.		152.5 सें.मी.
(iii) अनुसूचित जनजाति के सभी अभ्यर्थियों जो उक्तानुसार पूर्वोत्तर राज्यों से तथा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों से आते हैं, के लिए	160 सें.मी.		147.5 सें.मी.
(iv) अनुसूचित जनजाति के सभी अभ्यर्थियों जो उक्तानुसार पूर्वोत्तर राज्यों से तथा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों से भिन्न राज्यों से आते हैं, के लिए	162.5 सें.मी.		150 सें.मी.
(ब) छाती	पुरुषों के लिए		महिलाओं के लिए
	बिना फुलाए	फुलाकर	
साामान्य	80 सें.मी.	85 सें.मी.	लागू नहीं होता।
(i) पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा अन्य पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थी	78 सें.मी.	83 सें.मी.	
(ii) सभी राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के जनजातीय अभ्यर्थी	76 सें.मी.	81 सें.मी.	
(iii) पूर्वोत्तर राज्यों अरूणाचल प्रदेष, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के अभ्यर्थियों के लिए	77 सें.मी.	82 सें.मी.	

(स) भारः–चिकित्सीय मानकों के अनुसार आयु तथा कद के अनुपात में।
टिप्पणः–महानिदेशक, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल, उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं आपवादिक रूप से योग्य मामलों में विषेष अभियुक्ति के रूप में शारीरिक मानकों में छूट कर सकेगा।

3. चिकित्सा मानदंडः
(क) दृष्टिः–न्यूनतम दूरस्त दृष्टि दोनों ऑखों में 6/6 और 6/9 होनी चाहिए अर्थात (चश्मे के बिना)।
(ख) अभ्यर्थियों को घुटने मिलने, सपाट पंजे, वेरिकोस वैन या तिरछेपन से पीड़ित नहीं होना चाहिए तथा

उच्च वर्ण दृष्टि होनी चाहिए। उनका अच्छा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उन्हें किसी भी शारीरिक कमी, जिससे कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निष्पादन में समस्या हो, से मुक्त होना चाहिए।
4. शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(8)

लागू नहीं होता।

(9)	(10)
दो वर्ष।	(i) प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके ना हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा : और (ii) पूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति या पुर्ननियोजन द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।

(अ) प्रतिनियुक्ति द्वारा: केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के विभागों के ऐसे अधिकारी,–

(i) (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर पद धारण किए हुए हों; और

(ख) काडर या विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् वेतन मैट्रिक्स में स्तर–5

(रु. 29200–92300) में छह वर्ष की सेवा की हो।

(ii) स्तंभ (7) के तहत सीधी भर्ती के लिए विहित अपेक्षित अनुभव और अर्हता रखते हों।

टिप्पण 1: -प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु–सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: -प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए:

(प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन):

सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास विहित अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। यदि चयनित हो जाते हैं तो, ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा, जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन आधार पर बने रहने दिया जा सकता है।

(12)

समूह **'ख'** विभागीय पुष्टिकरण समिति, (पुष्टिकरण के संबंध में विचार के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :–

(1) निदेशक (चिकित्सा)/महानिरीक्षक, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – अध्यक्ष;
(2) उप महानिरीक्षक (चिकित्सा) या उप महानिरीक्षक, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य;
(3) मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी) या कमांडेंट, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य;

(13)

लागू नहीं होता।

[फा. सं. 1–14015/02/2018–एम.एस.]

पी. एस. डंगवाल, उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the, 14th July, 2023

G.S.R. 521(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'B' posts of Para Medical Cadre in the Indo-Tibetan Border Police Force, namely:-

1. Short title and commencement. **—**(1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Para-Medical Cadre (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.-These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of post, classification and level in the pay matrix.— The number of said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any other person from the operation of this rule.

6. Medical Fitness.— Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, as specified in the Indo-Tibetan Border Police Force, Medical Manual Volume-III, shall be eligible for appointment and promotion including appointment by deputation or re-employment under the provisions of these rules**.**

Explanation.- For the purposes of this rule, SHAPE-I means Medical Category defined as under:-

(i) Medical classification done by Medical Officer after assessing fitness of the officer under given factors indicated by the code letter SHAPE, which represent the following function:-

S- Psychological

H- Hearing

A- Appendages

P- Physical capacity

E- Eye sight

(ii) Functional capacity of an officer under each factor will be denoted by numeral 1 to 5 against each code letter, indicating declining functional efficiency. The numerals will be written next to the code letter, except that where an officer is in Grade-I in all factors, his category may be denoted by writing SHAPE-I instead of writing $S_1H_1A_1P_1E_1$. General evaluation of these numerals is as under:-

(a) Fit for all duties anywhere.

(b) Fit for all duties but may have limitations as to type of duties and area of employability depending on whether the duties involve severe stress or demand acuity of hearing or vision of both ears or eyes.

(c) Excepting "S" factor, fit for routine or sedentary duties but may have limitations of employability at high altitude (above 2700 meters) extreme cold areas or hilly terrain and for long assignments.

(d) Temporarily unfit for duties on account of hospitalization or sick leave.

(e) Permanently unfit for duties.

7. Ineligibility of non-citizens of India.-No person who is not a citizen of India shall, except with the prior permission of the Central Government in writing, be appointed under these rules:

Provided that nothing contained in this rule shall debar the appointment or employment of a subject of Nepal or Bhutan in the Force.

8. Superannuation.- (1) Every person appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of month in which he or she attains the age of sixty years or as prescribed by the Central Government from time to time:

Provided that the person whose date of birth is the first day of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of superannuation.

(2) No person shall be granted extension in service beyond the prescribed age of retirement on superannuation.

9. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

10. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

11. Interpretation.- If any question relating to the interpretation of these rules arises, it shall be referred to the Central Government who may decide the same.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification of the post.	Level in the pay matrix.	Selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Sub-Inspector (EEG Technician).	01* (2023) *(Subject to variation dependent on work load).	General Central Service, Group 'B', Non – Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).	Level 6 (Rs. 35400-112400).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.
(6)
Between 18 to 30 years. (1) Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. (2) Relaxable upto five years in the case of the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe candidates and three year for the Other Backward Classes candidates in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.
(7)	(8)

1. (a) Educational qualifications:

(i) Bachelor's Degree in Neurotechnology from a recognised University or Institute; or

(ii) 10th plus 2 in Science from recognised Board and having two years Diploma in Electroencephalogram or Neurology Technician from a Institute recognised by the Central Government or State Government.

(b) Experience: Minimum one year experience in case of Bachelor's Degree holders and minimum two years experience in case of diploma as a Electroencephalogram or Neurology Technician from a recognised Government hospital.

Not applicable.

2. Physical standard for male and female:

(a) Height	For male	For female
	170 cms	157 cms
Relaxation:		
Candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the State of Assam, Himachal Pradesh, Kashmir region of Union territory of Jammu and Kashmir and Leh and Ladakh regions of Union territory of Ladakh.	165 cms	155 cms
Candidates hailing from North-Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura.	162.5 cms	152.5 cms
All candidates belonging to the Schedule Tribes hailing from the North-Eastern States as above and the leftwing extremism affected Districts.	160 cms	147.5 cms
All candidates belonging to the Schedule Tribes other than North-Eastern States and the left wing extremism affected Districts.	162.5 cms	150 cms

(b) Chest	For male		For female
	Unexpanded	Expanded	
General	80 cms	85 cms	Not applicable.
Candidates belonging to hill areas other than North Eastern States	78 cms	83 cms	
Tribals of all States or Union territories	76 cms	81 cms	
Candidates hailing from North–Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura.	77 cms	82 cms	

(c) Weight: Proportionate to height and age as per medical standards.

Note: The Director General, Indo-Tibetan Border Police may, for reasons to be recorded in writing, relax the physical standards as a special dispensation in deserving cases.

3. Medical standards:

(a) Vision : Minimum distant vision should be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction (i.e. without wearing glasses).

(b) candidates must not suffer from knock knees, flat foot, varicose veins or squint in the eyes and should possess high colour vision. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of duties.

3. Must qualify the physical efficiency test and written test.

Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(9)	(10)
Two years.	(i) By deputation failing which by direct recruitment; and (ii) By deputation or re-employment for Ex-serviceman.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, level in the pay matrix from which promotion or deputation/ absorption is to be made.
(11)
By deputation: Officers of the Central Government or State Government or Union territories,- (i) (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (b) with six years' service rendered after appointment thereto on regular basis in level 5 (Rs. 29200-92300/-) in the pay matrix; and (ii) having the requisite experience and qualifications prescribed for direct recruits under column (7). Note 1:The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty–two years as on the closing date of receipt of applications. Note 2:The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. For Ex-servicemen: (Deputation or re-employment) The Armed Force personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed, if any, shall also be considered and if selected such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter they may be continued on re-employment.

If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Director (Medical)/Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman; (2) Deputy Inspector General (Medical) or Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member; (3) Chief Medical Officer (Selection Grade) or- Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Sub-Inspector (Ophthalmic Technician).	01* (2023) * (Subject to variation dependent on work load).	General Central Service, Group 'B', Non – Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).	Level 6 (Rs. 35400-112400).	Not applicable.

(6)	
Between 18 to 30 years. (1) Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. (2) Relaxable upto five years in the case of the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe candidates and three year for the Other Backward Classes candidates in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.	
(7)	(8)

Not applicable.

1. Educational qualifications:
   (i) Bachelor's Degree in Optometry from a recognized University or institute; or
   (ii) 10th plus 2 with Science as one of the subjects from a recognised Board and two years Diploma in Ophthalmic Technician from a institute recognised by the Central Government or State Government.

   Experience: Minimum one year experience in case of Bachelor's Degree holders and minimum two years experience in case of diploma holders in the field of Optometry from a recognized Government hospital.

2. Physical standard for male and female:

(a) Height	For male	For female
	170 cms	157 cms
Relaxation:		
Candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the State of Assam, Himachal Pradesh, Kashmir region of Union territory of Jammu and Kashmir and Leh and Ladakh regions of Union territory of Ladakh.	165 cms	155 cms
Candidates hailing from North-Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura .	162.5 cms	152.5 cms
All candidates belonging to the Schedule Tribes hailing from the North-Eastern States as above and the leftwing extremism affected Districts.	160 cms	147.5 cms
All candidates belonging to the Schedule Tribes other than North-Eastern States and the left wing extremism affected Districts.	162.5 cms	150 cms

(b) Chest	For male		For female
	Unexpanded	Expanded	
General	80 cms	85 cms	Not applicable.
Candidates belonging to hill areas other than North Eastern States	78 cms	83 cms	
Tribals of all States or Union territories	76 cms	81 cms	
Candidates hailing from North–Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura.	77 cms	82 cms	

(c) Weight: Proportionate to height and age as per medical standards.

Note: The Director General, Indo-Tibetan Border Police may, for reasons to be recorded in writing, relax the physical standards as a special dispensation in deserving cases.

3. Medical standards:

(a) Vision : Minimum distant vision should be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction (i.e. without wearing glasses);

(b) candidates must not suffer from knock knees, flat foot, varicose veins or squint in the eyes and should possess high colour vision. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance

of duties. 4. Must qualify the physical efficiency test and written test.	

(9)	(10)
Two years.	(i) By deputation failing which by direct recruitment; and (ii) By deputation or re-employment for Ex-Serviceman.

(11)
By deputation: Officers of the Central Government or State Government or Union territories,- (i) (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (b) with six years' service rendered after appointment thereto on regular basis in level 5 (Rs. 29200-92300/-) in the pay matrix; and (ii) having the requisite experience and qualifications prescribed for direct recruits under column (7). Note 1: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty–two years as on the closing date of receipt of applications. Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. For Ex-servicemen: (Deputation or re-employment) The Armed Force personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed, if any, shall also be considered and if selected such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter they may be continued on re-employment.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Director (Medical)/Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman; (2) Deputy Inspector General (Medical) or Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member; (3) Chief Medical Officer (Selection Grade) or Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Sub-Inspector (Dialysis Technician).	01* (2023) * (Subject to variation dependent on work load).	General Central Service, Group 'B', Non – Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).	Level 6 (Rs.35400-112400).	Not applicable.

(6)
Between 18 to 30 years. (1) Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. (2) Relaxable upto five years in the case of the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe candidates and three year for the Other Backward Classes candidates in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

(7)	**(8)**

1. Educational qualifications:
(i) Bachelor's Degree in Haemo dialysis from a recognised University or institution; or
(ii) 10th plus 2 with Science from a recognised Board or institution and having two years Diploma in Haemo dialysis.
Experience: Minimum one year experience in case of Bachelor's Degree holders and minimum two years experience in case of diploma holders in the field of haemo dialysis work in a recognised Government hospital.

2. Physical standard for male and female:

(a) Height	For male	For female
	170 cms	157 cms
Relaxation:		
Candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the State of Assam, Himachal Pradesh, Kashmir region of Union territory of Jammu and Kashmir and Leh and Ladakh regions of Union territory of Ladakh.	165 cms	155 cms
candidates hailing from North-Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura.	162.5 cms	152.5 cms
All candidates belonging to the Schedule Tribes hailing from the North-Eastern States as above and the leftwing extremism affected Districts.	160 cms	147.5 cms
All candidates belonging to the Schedule Tribes other than North-Eastern States and the leftwing extremism affected Districts.	162.5 cms	150 cms

(b) Chest	For male		For female
	Unexpanded	Expanded	
General	80 cms	85 cms	Not applicable.
Candidates belonging to hill areas other than North Eastern States	78 cms	83 cms	
Tribals of all States or Union territories	76 cms	81 cms	
Candidates hailing from North–Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura.	77 cms	82 cms	

(c) Weight: Proportionate to height and age as per medical standards.
Note: The Director General, Indo-Tibetan Border Police may, for reasons to be recorded in writing, relax the physical standards as a special dispensation in deserving cases.

3. Medical standards:

(a) Vision : Minimum distant vision should be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction (i.e. without wearing glasses);

(b) candidates must not suffer from knock knees, flat foot, varicose veins or squint in the eyes and should possess high colour vision. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of duties.

4. Must qualify the physical efficiency test and written test.

Not applicable.

(9)	(10)
Two years.	(i) By deputation failing which by direct recruitment; and (ii) By deputation or re-employment for Ex-serviceman.

(11)
By deputation: Officers of the Central Government or State Government or Union territories,- (i) (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (b) with six years' service rendered after appointment thereto on regular basis in level 5 (Rs. 29200-92300/-) in the pay matrix; and (ii) having the requisite experience and qualifications prescribed for direct recruits under column (7). Note 1: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty–two years as on the closing date of receipt of applications. Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. For Ex-servicemen: (Deputation or re-employment) The Armed Force personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed, if any, shall also be considered and if selected such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter they may be continued on re-employment.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Director (Medical)/ Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman; (2) Deputy Inspector General (Medical) or Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member; (3) Chief Medical Officer (Selection Grade) or Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member.	Not applicable.

[F. No. I.14015/02/2018/MS]

P. S. DANGWAL, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.07.19 19:18:31 +05'30'